प्रेस विज्ञप्ति
07.08.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने दिनांक 31.07.2026 को माननीय प्रधान नगर सिविल एवं सत्र न्यायाधीश, बेंगलुरु के समक्ष (i) मैसर्स दीपक केबल (इंडिया) लिमिटेड (मैसर्स डीसीआईएल), (ii) के. वेंकटेश्वर राव, पूर्व-प्रबंध निदेशक, मैसर्स डीसीआईएल, (iii) श्रीमती सत्यवती बल्ला, पूर्व-निदेशक, मैसर्स डीसीआईएल, (iv) मैसर्स सूर्य ट्रांसमिशन लिमिटेड, (v) मैसर्स आधुनिक पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, (vi) मैसर्स अमृता कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड (एसीपीएल), (vii) पी. वेंकटेश्वर राव, प्रबंध निदेशक, मैसर्स एसीपीएल, (viii) मैसर्स केजीएन इलेक्ट्रिकल्स, (ix) श्री मोहम्मद इदरीस, भागीदार, मैसर्स केजीएन इलेक्ट्रिकल्स, (x) मैसर्स शरावती कंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (एससीपीएल) तथा (xi) कार्डम पटेल, प्रबंध निदेशक, मैसर्स एससीपीएल के विरुद्ध अभियोजन शिकायत (पीसी) दाखिल की है। उक्त आरोपियों ने अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि को अंजाम देकर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय (पीओसी) के सृजन में संलिप्तता की तथा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय से संबंधित प्रक्रिया या गतिविधि, जिसमें उसका कब्जा, अर्जन तथा उसे बेदाग संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करना या दावा करना शामिल है, में संलिप्त रहे और धन शोधन के अपराध के दोषी हैं।

ईडी ने धन शोधन संबंधी जांच भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), एसएएमबी, बेंगलुरु के उप महाप्रबंधक द्वारा दायर लिखित शिकायत के आधार पर सीबीआई, बीएस एंड एफबी, बेंगलुरु द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर प्रारंभ की। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मैसर्स डीसीआईएल ने अपने प्रबंध निदेशक के. वेंकटेश्वर राव तथा अन्य निदेशकों के साथ मिलकर एसबीआई को 899.35 करोड़ रुपये (जिसमें अनुमानित ब्याज एवं कानूनी व्यय शामिल हैं) की अनुचित हानि पहुंचाई।

आगे की जांच में पता चला कि पीएनबी बैंक ने भी सीबीआई, बीएस एंड एफबी, बेंगलुरु के समक्ष शिकायत दर्ज की और तदनुसार सीबीआई, बीएस एंड एफबी ने मैसर्स डीसीआईएल एवं उसके प्रवर्तकों के विरुद्ध धनराशि के गबन एवं अपवर्तन, आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक न्यासभंग, धोखाधड़ी आदि के अपराधों के लिए दिनांक 14.12.2022 को एफआईआर दर्ज की, जिसके परिणामस्वरूप स्वयं को अनुचित लाभ तथा शिकायतकर्ता बैंक के सार्वजनिक धन को 147.93 करोड़ रुपये की अनुचित हानि हुई। तदनुसार, उक्त एफआईआर का परिशिष्ट उक्त ईसीआईआर में किया गया।

ईडी द्वारा की गई जांच में पता चला कि मैसर्स डीसीआईएल, जो एल्युमिनियम कंडक्टर के विनिर्माण तथा विद्युत पारेषण/वितरण के कार्य में संलग्न है, ने कंपनी के बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किए गए अभिलेख/वित्तीय विवरण प्रस्तुत कर बैंकों के कंसोर्टियम से ऋण सुविधाएं प्राप्त कीं तथा उनमें वृद्धि कराई। कंपनी ने मैसर्स सूर्य ट्रांसमिशन लिमिटेड, मैसर्स आधुनिक पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड जैसी संबद्ध संस्थाओं तथा मैसर्स एसीपीएल, मैसर्स केजीएन इलेक्ट्रिकल्स एवं मैसर्स एससीपीएल जैसी असंबद्ध संस्थाओं के साथ बिना माल की वास्तविक आवाजाही के काल्पनिक बिक्री/खरीद लेनदेन किए। सृजित अपराध की आय को प्रवर्तकों/निदेशकों के व्यक्तिगत खातों, संबद्ध कंपनियों के खातों में अंतरित किया गया तथा विभिन्न अचल संपत्तियों की खरीद और निजी इक्विटी निवेशकों मैसर्स आईडीएफसी लिमिटेड एवं मैसर्स एसेन्ट इंडिया फंड्स द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की बाय-बैक के लिए उपयोग किया गया।

जांच के दौरान, के. वेंकटेश्वर राव को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 02.06.2026 को गिरफ्तार किया गया था और वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। आरोपियों के नाम पर धारित अचल संपत्तियों से संबंधित लगभग 51.28 करोड़ रुपये की अपराध की आय को ईडी द्वारा दिनांक 30.07.2026 के अनंतिम कुर्की आदेश के माध्यम से अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है। उक्त अनंतिम कुर्की आदेश माननीय निर्णयन प्राधिकरण (पीएमएलए), नई दिल्ली के समक्ष पुष्टि के लिए लंबित है।

आगे की जांच जारी है।